तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कालम V/s देऊ 212 RTA	
23/10/24	958/6270 में मिला दिया गया जो हाल खसरा नं० 6269, 6270 तथा 958/6270 की 2 बीघा भूमि को दिनांक 27/6/1966 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण के पिता पीर खां द्वारा क्रय कर लिया गया था जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होने से शेष रह गया है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं तथा भूमि का विक्रय करने, अन्तरित करने पर आमादा हैं। अत: अप्रार्थी सं-1 को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करेंगे तथा भूमि का बेचान व्यक्तियों को अन्तरण नहीं करें। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिन्तन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19/12/07 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लगभग 16 वर्ष उपरान्त प्रार्थी द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जा रही है। प्रकरण में 16 वर्ष की लम्बी अवधि के उपरान्त वादकारण शेष रहने का कोई तर्क/औचित्य शेष नहीं रहता	

23/10/24 — लगातार

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वासम V/S देक 212 RTA

25/10/26 है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लगभग 16 वर्ष उपरान्त स्वीकार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अत: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद ग्रस्त भूमि ग्राम पुर की 6269, 6270 एवं 9586/6270 कुल किता 3 कुल रकबा 3.02 बीघा भूमि हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 पेश किया जाना को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। ~~सम~~ निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली नीयत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/10/26

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा